

26.02.2020

पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता आज अनुपस्थित। उभयपक्ष पक्षकारान व उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी उभयपक्ष पक्षकारान स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि

प्रार्थनापत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र, प्रार्थी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फ़िलियाकला (भीलवाड़ा) राज.